

# कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

87-राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष-0135-2745779 E-mail (cfyamu-forest-uk@nic.in)

पत्रांक-

240 /12-1, देहरादून, दिनांक, 19 अगस्त 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय :-

जनपद देहरादून में विकासखण्ड चकराता के अन्तर्गत लौखण्डी बुधेर वन मोटर मार्ग से ग्राम पंचायत-बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक मोटर मार्ग हेतु वांछित 3.90 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/48173/2020)

संदर्भ :-

Minutes of the Fortnightly Regional Coordination Meeting held on 24-01-2023.

महोदय,

विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा पत्रांक 793/12-1 दिनांक 14.08.2023 एवं पत्रांक 4940/12-1 दिनांक 06.05.2023 से आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रों से प्रेषित की गई आख्या मय संस्तुति के मूल में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

( डा० विनय भार्गव )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।



dfo\_chakrata\_uta@yahoo.co.in  
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 4940 / 12-1,

चकराता, दिनांक 06, मई 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय :- जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


संदर्भ :- आपका ई०डी०एस० दिनांक 01.02.2023  
प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/48173/2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में भारत सरकार के बैठक कार्यवृत्त दिनांकित 24.01.2023 के एजेण्डा नं०-5 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के साथ दिनांक 03.04.2023 विषयक मोटर मार्ग का पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित मार्ग के संयुक्त निरीक्षण में आरक्षित वन भूमि/वन पंचायत भूमि में पड़ने वाले विभिन्न प्रजातियों एवं व्यासवर्ग के वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। (संलग्नक-1)

प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता द्वारा उक्त एजेण्डा सं०-5 के क्रम में निराकरण आख्या अपने पत्रांक-114/15सी-4 दि. 02.05.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निराकरण आख्या से अवगत कराया गया कि पहाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित मोटर मार्ग के नवनिर्माण मानक न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी० से कम में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। प्रस्तावक विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मी० में किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग को जोड़ने वाला लोखण्डी-बुधेर वन विश्राम भवन से थोयाथात तक आरक्षित वन मार्ग 03-04 मी० पूर्व से विद्यमान है। अतः सूचना उच्च स्तर को प्रेषित किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।  
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

  
( कल्याणी )

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता

**संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट**  
(दिनांक 03 अप्रैल 2023)

**विषय:- Agenda Item No.05: Diversion of 3.9 ha of forest land for construction of Lokhandi Budher Van Marg to Village Udawa Road I favour or PWD, within the jurisdiction of Chakrata Forest Division, District Dehradun. Uttarakhand (FP UK/ROAD/48173/2020).**

दिनांक- 14-01-2023 को आयोजित एफ0आर0सीएम0 में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 03/04/2023 को प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं लो0 नि0 वि0, चकराता के अधिकारियों द्वारा लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड के ग्राम उदावा तक सम्पर्क मार्ग का स्थलिय निरीक्षण कर वृक्षों की संख्या की पुनः जांच की गयी। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता, वन क्षेत्राधिकारी कनासर श्री महेन्द्र सिंह गुसाई, अनुभाग अधिकारी श्री प्रमोद कुमार वन दरोगा, वन बीट अधिकारी श्री मदन सिंह एवं लो0 नि0 वि0 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी सहायक अभियन्ता, श्री आशिष कुमार अपर सहायक अभियन्ता, भजन सिंह मेट एवं उदावा ग्राम के श्री बहादूर सिंह चौहान पूर्व प्रधान एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। निरीक्षण दल द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र कनासर कक्ष सं0 22 के 30°46'01.9" ; 077°46'44.7" से 30°45'58.9" ; 077°46'34.8" से 30°45'26.1" ; 077°46'12.9" कक्ष सं0 कनासर 21 A तक का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी दूरी 2.5 km है।


प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आच्छादित आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी, जोकि निम्न प्रकार है।


क्र0 स0	भूमि की श्रेणी	वन ब्लॉक /कं0	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									योग
					0 — 20	20 — 30	30 — 40	40 — 50	50 — 60	60 — 70	70 — 80	80 — 90	90-अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	कनासर क0 सं0 21(ए)	देवदार	<i>Cedrus deodara</i>	—	01	03	01	04	—	01	—	—	10
			बान	<i>Quercus Spp</i>	01	08	05	04	—	01	—	—	—	19
			सुरई	<i>Capsesus Spp</i>	—	—	05	—	—	—	01	—	—	06
			रई	<i>Picea smithiana</i>	—	—	—	—	—	01	01	—	—	02
			कैल	<i>Pinus wallichiana</i>	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
					01	10	13	05	04	02	03	—	38	

संयुक्त निरीक्षण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की पूर्व में की गई गणना एवं प्रजाति में भिन्नता पायी गयी है। नवीन सूची को अंतिम मानी जायेगी।


  
वन क्षेत्राधिकारी  
कनासर रेंज  
चकराता

  
PWD Chakrata  
03/04/2023

  
03/04/2023  
सहायक अभियन्ता  
अस्थायी खण्ड-लो0 नि0 वि0  
चकराता

  
उप वन संरक्षक  
चकराता वन प्रभाग  
चकराता





dfo\_chakrata\_uta@yahoo.co.in  
टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांक:- 793 / 12-1

चकराता, दिनांक 14 अगस्त 2023

सेवा में,

✓ वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

विषय :-

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावां तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(Online no.FP/UK/Road/48173/2020)

संदर्भ:-

आपका ई०डी०एस० दिनांक 06.07.2023


महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्रांक-735/15सी IV दि० 04.08.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है -

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- Provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	1-प्रयोक्ता एजेन्सी का उक्त पत्र संलग्न है। 2-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं०-एम.एल.ए.-109/लो०नि०-1/2001-611(पी०डब्ल्यू०डी०)/2001 दिनांक 29.10.2001 के अनुसार भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये, उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मी० रखी जाये तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मी०) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड शासन का पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार


भवदीया

  
(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या- 793 (1)/12-1 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता को उनके पत्रांक-735/15सी IV दि० 04.08.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कल्याणी)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता

(The Executive Engineer, Temporary Div., PWD, Chakrata Uttarakhand)

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

E-mail: [cepwdchakrata10@rediffmail.com](mailto:cepwdchakrata10@rediffmail.com)

पत्रांक : 735/15 सी0 4  
सेवा में,

दिनांक: 08/08/2023

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में लोखण्डी बुधेर वन मार्ग से ग्राम पंचायत बुल्हाड़ के ग्राम उदावा तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.900 है0 वन भूमि का वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/4817/2020) (लम्बाई 5.00 कि0मी0)

सन्दर्भ:- Online Query on dated 12 Jul 2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि प्रकरण पर दिनांक 12 जुलाई 2023 को जो आपत्ति लगाई गई है उसका निराकरण निम्नवत् कर प्रस्ताव मय साक्ष्यों सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	Kindly provide the reply as per the instructions. 1- provide the justification/reply of user agency with regards to the query. 2- Also attach the technical guideline of PWD for road construction in hill area.	महोदय अवगत कराना है कि, पूर्व में आपके द्वारा मार्ग की चौड़ाई 3 से 4 मीटर प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा गया था, जिसके अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या एम. एल.ए.-109/लो0नि0-1/2001-611(पी.डब्लू.डी.)/2001 दिनांक 29 अक्टूबर 2001 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें पृष्ठ संख्या द्वितीय की प्रथम लाइन पर साफ-साफ निर्देशित किया गया है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा जो भी प्रस्ताव मोटर मार्ग हेतु निर्मित किये जाये उसमें मोटर मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 5.95 मीटर रखी जाये। तथा भविष्य में शासन द्वारा हल्का वाहन मार्ग (न्यूनतम चौड़ाई 4.25 मीटर) के निर्माण की स्वीकृति न प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासन का पत्र संलग्न कर पुनः वन भूमि प्रस्ताव आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(ई0 एल.के. गोयल)  
अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,  
चकराता।

दिनांक / 08/2023

पत्रांक..... /

प्रतिलिपि:- ई0 एस.एस. नेगी, सहायक अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, चकराता को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि.,  
चकराता।

चकराता वन प्रभाग  
पजी0 संख्या...1183  
पत्रावली संख्या...1  
पत्रांक संख्या...1  
दिनांक 8/08/2023



प्रेषक,

चन्द्र सिंह,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून, उत्तरांचल ।

विभाग अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 27 अक्टूबर/2001.

विषय:- लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल द्वारा भाविष्य में हल्का वाहन मार्ग न बनाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तरांचल में विगत कई वर्षों से हल्के वाहन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है । इन हल्का वाहन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 4.25 मीटर निर्धारित है तथा इनका उपयोग छोटे वाहनों के लिए ही संभव है । हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने में विचिष्टिष्टियों में अंतर होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । जहाँ तक वित्तीय उपलब्धता का प्रश्न है, हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने पर होने वाला व्यय मोटर मार्ग के निर्माण करने से अधिक होता है । इस प्रकार हल्का वाहन मार्ग निर्माण से प्रकृत सरकार पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ता है, क्योंकि कभी न कभी हल्का वाहन मार्गों को मोटर मार्गों में परिवर्तित करना पड़ता है ।

2- इण्डियन रोड कोड की पर्वतीय मार्गों के निर्माण की संस्तुतियों के लिए निर्गत आईआरसी कोड में हल्के वाहन मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि ग्रामीण मार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई 5.20 मीटर प्रस्तावित है ।

3- हल्का वाहन मार्गों पर कर्जा ऋतु में स्लिप अथवा बोल्टर आ जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त/अकड़ हो जाते हैं और मार्ग यातायात हेतु बन्द हो जाता है । इन मार्गों के अनुरक्षण पर कम ध्यान दिये जाने के कारण मार्ग लम्बे समय तक बन्द रहते हैं और हल्के वाहन मार्गों के निर्माण का सिद्धान्त



अव्याप्त प्रायः ही जाता है। मोटर मार्ग के निर्माण की चौड़ाई 5.95मीटर निर्धारित है। अतः हल्के वाहन मार्ग तथा मोटर मार्ग निर्माण में 1.70 मीटर अतिरिक्त पंखाइ कटान, इसी अनुपात में प्रत्येक स्क्पर की चौड़ाई अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट कार्य जैसे रिटेनिंग वाल/ब्रेस्टवाल, नाली, पेरामिट्रस, जिंती, एकटोमीटर स्टॉन योनों में समान रूप से लगाये जाने के अलावा कुछ अतिरिक्त व्यय माूमि अध्याप्ति पर भी करना पड़ता है।

4- अतः उक्त समस्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता नहीं हो पाती है। साथ ही शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार भी आता है। अतः शासक्य में

हल्का वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान न किये जाने का शासन द्वारा/नियम

है, उनपर कार्य प्रारंभ न किये जाएं बल्कि उन्हें मोटर मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आगंतक प्रस्तुत किये जाएं। जो हल्का वाहन मार्ग निर्माणाधीन है, ऐसे मार्गों को स्वीकृति सीमा तक ही पूर्ण कर लिया जाए तथा शासक्य में प्रयोग के अलावा हल्का वाहन मार्गों को बरखाबद रूप में जिला योजना, राज्य योजना अथवा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्गों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जाए।

सावधानीय,

द. मन्जु सिंह  
अपर सचिव.

संख्या/MLA-109 118/लो.नि.वि.0-1/2001 तद्विनिर्दि


निम्नलिखित निम्नलिखित की सुपारवाही एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, मा.ट. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
- 2- सिजी सचिव, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
- 3- सचिव/उप सचिव/अनु सचिव लो.नि.वि. निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पीडी/आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, मैनीताल।
- 6- मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. पीडी/आ.मो.डा।
- 7- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.0, उत्तरांचल द्वारा मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।
- 8- समस्त अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.0, उत्तरांचल, द्वारा, मुख्य अभियंता स्तर-1, देहरादून।



- 9- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन ।  
10- लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 2  
11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,



॥ जी. पी. सिंघी ॥  
अनु. सचिव.